

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी कस्टम अपील संख्या 2/2022

कस्टम आयुक्त , जयपुर-I, एनसीआर बिल्डिंग-स्टेच्यू सर्कल, सी स्कीम, जयपुर (राजस्थान)-302005।

----अपीलकर्ता

बनाम

मैसर्स ट्रेडवेल , सी-66, इंद्रपुरी कॉलोनी, लाल कोठी , जयपुर, (राजस्थान) 302015।

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री संदीप पाठक
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	सुश्री सात्विका झा
		श्री सिद्धार्थ रांका
		सुश्री अनेका बापना
		श्री रोहन चैटर के लिए

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

14/08/2024

1. यह अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 08.02.2022 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

2. निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि प्रश्न प्रस्तावित किए गए हैं :

“1. क्या विद्वान सीईएसटीएटी ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और बयानों पर विचार न करके गलती की है, जो संदेह से परे यह साबित करते हैं कि आयातक सीमा शुल्क के भुगतान से बचने के प्रयास के साथ आयातों का कम मूल्यांकन कर रहा था?

2. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, माननीय सीईएसटीएटी ने यह उचित रूप से विचार न करके गलती की है कि आयातक के खिलाफ आरोप ठोस सबूतों और जांच के दौरान पाए गए तथ्यों पर आधारित थे।

3. क्या विद्वान सीईएसटीएटी ने यह मान कर गलती की है कि प्रोफार्मा चालान आरोपों का आधार नहीं हो सकता?

4. क्या विद्वान सीईएसटीएटी ने इस तथ्य पर विचार न करके गलती की है कि आयातों का कम मूल्यांकन ठोस साक्ष्यों से साबित हुआ था, जिसकी पुष्टि विभिन्न संबंधित पक्षों के बयानों से हुई थी।

5. क्या विद्वान सीईएसटीएटी ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 138 सी के तहत प्रक्रिया का विधिवत अनुपालन किए जाने के बावजूद ईमेल और व्हाट्सएप चैट के प्रिंटआउट जैसे दस्तावेजों के साक्ष्य मूल्य को नकारने में गलती की है।

3. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने शुरू में ही आपत्ति उठाई कि इसमें मूल्यांकन का मुद्दा शामिल है और अपील उच्च न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि केवल एक प्रश्न मूल्यांकन से संबंधित है।

5. प्रासंगिक तथ्य यह है कि सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी के परिसर में की गई तलाशी के दौरान, यह साक्ष्य एकत्रित हुआ कि सीमा शुल्क से बचने के लिए कंबल और पेपर कप मशीनों का मूल्य कम आंका गया था। शुरू की गई कार्यवाही माँग के सृजन तक पहुँची। न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवादी की अपील स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर, यह अपील दायर की गई है।

6. न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध विधि के सारवान प्रश्न पर अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अपवाद यह है कि यह मुद्दा कर-निर्धारण के प्रयोजनार्थ शुल्क की दर या माल के मूल्यांकन से संबंधित नहीं होना चाहिए। अधिनियम की धारा 130-ई के अनुसार, कर-निर्धारण के प्रयोजनार्थ शुल्क की दर या माल के मूल्यांकन के संबंध में अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। पहला प्रस्तावित विधि का सारवान प्रश्न कर-निर्धारण के प्रयोजनार्थ माल के मूल्यांकन से संबंधित है, इसलिए उच्च न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं है।

7. उच्चतम न्यायालय ने सीमा शुल्क आयुक्त, बेंगलोर-1 बनाम मोटोरोला इंडिया लिमिटेड के मामले में **(2019)9 एससीसी563** में रिपोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है:

“16. हमारा यह सुविचारित मत है कि विधानमंडल ने मामलों की केवल निम्नलिखित श्रेणियाँ बनाई हैं, जिनके लिए वह इस न्यायालय में सीधे अपील करने का विशेष प्रावधान करना चाहता है।

(i) शुल्क की दर से संबंधित प्रश्न का निर्धारण;

(ii) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए माल के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न का निर्धारण;

(iii) टैरिफ के अंतर्गत वस्तुओं के वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न का निर्धारण तथा यह कि वे छूट अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं या नहीं;

(iv) (क्या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए या घटाया जाना चाहिए, यह बात उक्त अधिनियम में दिए गए कुछ मामलों पर विचार करते हुए कही जा सकती है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि केवल एक सारवान प्रश्न माल के मूल्यांकन से संबंधित है और इसलिए अपील उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय है, अस्वीकार किया जाता है।

9. अपील को पोषणीय न मानते हुए खारिज किया जाता है।

10. चूंकि मुख्य अपील को स्वीकार नहीं किया जा सका है, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(आशुतोष कुमार),जे

(अवनीश झिंगन),जे

रिया/सुनीता/56

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी